

विद्या भवन बालिका विद्यापीठ लखीसराय

वर्ग दशम् विषय संस्कृत शिक्षक श्यामउदय सिंह

ता:-१०/११/२०२० (एन.सी.ई.आर.टी.पर आधारित)

पाठ: अष्टमः पाठनाम विचित्र साक्षी

पाठ्यांशः

न्यायाधीशेन पुनस्तौ घटनायाः विषये वक्तुमादिष्टौ । आरक्षिणि निजपक्षं प्रस्तुतवति आश्चर्यमघटत् स शवः प्रावारकमपसार्य न्यायाधीशमभिवाद्य निवेदितवान् -मान्यवर! एतेन आरक्षिणा अध्वनि यदुक्तं तद् वर्णयामि 'त्वयाऽहं चोरितायाः मञ्जूषायाः ग्रहणाद् वारितः , अतः निजकृत्यस्य फल भुङ्क्ष्व।अस्मिन् चौर्याभियोगे त्वं वर्षत्रयस्य कारादण्डं लप्स्यसे' इति।

शब्दार्थाः -

घटनायाः- घटना के , वक्तुम् – बोलने के लिए , आदिष्टौ -आदेश दिया , अपसार्य – हटाकर, प्रस्तुतवति – प्रस्तुत करने पर , अभिवाद्य – प्रणाम करके , अध्वनि - रास्ते में , भुङ्क्ष्व- भोगो , चोरितायाः- चुराई गई , ग्रहणात् - लेने से , वारितः -रोका गया , निजकृत्यस्य -अपने किए का , वर्षत्रयस्य – तीन वर्ष की , लप्स्यसे – पाओगे , मुक्तवान् – छोड़ दिया

अर्थ

न्यायाधीश ने फिर उनदोनों को घटना के विषय में बोलने का आदेश दिया। सिपाही के द्वारा अपना पक्ष रखने पर आश्चर्यजनक घटना घटी , वह मुर्दा (शरीर) कंबल को हटाकर न्यायाधीश को प्रणाम करके बोला -महोदय इस सिपाही ने रास्ते में जो कहा कहा था, उसको कह रहा हूं 'तुम्हारे द्वारा मुझे चोरी की गई मञ्जूषा को लेने से रोका गया था , इसलिए अपने किए गए कर्म का फल भोगो ।इस चोरी के अभियोग में तुम तीन वर्ष की जेल का दंड पाओगे।